vè;k; II% okgu 4-0] lkjFkh 4-0 ,lyhd'ku vkj Ã&pkyku ,i dk dk;kZUo;u

Lui'k,V

उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा समय–समय पर सरकारी नीतियों के त्वरित कार्यान्वयन एवं नागरिकों के साथ–साथ स्वयं परिवहन विभाग को बेहतर सेवाएं प्रदान करने एवं वाहनों की त्वरित पहुँच/डीएल से सम्बन्धित सूचना को अन्य सरकारी विभागों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वेब आधारित वाहन, सारथी एवं ई चालान ऐप सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन किया गया। इन सॉफ्टवेयरों को अपने सार्वजनिक उपयोगकर्ताओं को स.प.का. से संबंधित अधिकांश लेन–देन (भुगतान सहित) को सुविधाजनक तरीके से या उसके आसपास के अधिकृत तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं से कराने के लिए सशक्त बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है।

सारथी 4.0 का कार्यान्वयन वाहन 4.0 की तुलना में तुलनात्मक रूप से तेज था। हालांकि, वाहन 4.0 में करों की वापसी के लिए कोई मॉड्यूल शामिल नहीं किया गया है और वापसियों को मैन्युअल रूप से संसाधित किया जा रहा था। विभाग ने प्राप्त धनराशि एवं सरकारी खाते में जमा धनराशि के मिलान के लिए न तो कोई सॉफ्टवेयर विकसित किया एवं न ही मैन्युअल रूप से लेनदेन का मिलान किया।

2.1 ifjp;

वाहन एप्लीकेशन का उपयोग वाहनों के पंजीकरण/नवीनीकरण, स्वामित्व के हस्तांतरण, पते में परिवर्तन, एनओसी प्रमाणपत्र जारी करने, स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करने/नवीनीकरण, सभी प्रकार के परमिट जारी करने/नवीनीकरण और करों एवं शास्ति के संग्रह के लिए किया जाता है। सारथी एप्लीकेशन का उपयोग लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी/नवीनीकरण एवं शुल्क और शास्ति वसूलने के लिए किया जाता है। ई–चालान ऐप का उपयोग चालान जारी करने और प्रशमन शुल्क के निस्तारण के लिए किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में, वाहनों के पंजीकरण के लिए वाहन एप्लीकेशन (यूनिक्स[1] आधारित) नवंबर 2000 में प्रारम्भ किया गया था एवं 77 कार्यालयों (प.आ. कार्यालय और एक विस्तारित पटल कार्यालय सहित) में से परिवहन आयुक्त (प.आ.) कार्यालय सहित 25 संभागीय परिवहन कार्यालयों/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों (सं.प.का./स.सं.प.का.) में कार्यान्वित किया गया था (दिसंबर 2006 तक)। शेष 52 कार्यालय बिना वाहन एप्लीकेशन के चल रहे थे। इसके अतिरिक्त, विभाग ने 76 सं.प.अ./स.सं.प.अ. कार्यालयों में वाहन 1.0 जीयूआई (ग्राफिकल यूजर इंटरफेस) आधारित एप्लीकेशन लागू किया (2006 से 2013) जबकि प.आ. कार्यालय पुराने संस्करण (यूनिक्स आधारित) पर संचालित था। इसके बाद, विभाग ने 78 सं.प.अ./स.सं.प.अ. कार्यालयों में जिसमें दो विस्तारित पटल कार्यालय और प.आ. कार्यालय शामिल हैं में नवीनतम संस्करण अर्थात वाहन 4.0 को (जनवरी 2016 और फरवरी 2019 के मध्य में) कार्यान्वयन किया।

सारथी 2.0 एप्लीकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए, जीयूआई (ग्राफिकल यूजर इंटरफेस) आधारित एप्लीकेशन को जून 2011 से जुलाई 2013 की अवधि के दौरान 76 सं.प.अ./स.सं.प.अ. कार्यालयों में कार्यान्वियत किया गया था। इसके उपरान्त, विभाग ने 77 सं.प.अ./स.सं.प.अ. कार्यालयों में जिसमें दो विस्तारित पटल कार्यालय शामिल हैं में नवीनतम संस्करण अर्थात सारथी 4.0 को (अक्टूबर 2016 और मई 2018) के मध्य कार्यान्वित किया।

---

[1] कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम।

ई–चालान ऐप, परिवहन प्रवर्तन शाखा और ट्रैफिक पुलिस द्वारा उपयोग के लिए एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप और बैक–इंड वेब एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रैफ़िक उल्लंघनों का प्रबंधन करने के लिए एक एकीकृत प्रवर्तन समाधान है। इस ऐप का उपयोग जून 2017 से चालान जारी करने एवं प्रशमन शुल्क के निस्तारण के लिए किया जाता है।

2.2 y[kkijh{kk ifj.kke

2.2.1 okgu 4-0 vkSj lkjFkh 4-0 d dk;kZUo;u e foyEc

स.प.रा.मं. द्वारा वाहन 4.0 और सारथी 4.0 एप्लीकेशन्स को 2 जून 2015 को प्रारम्भ किया गया था। यद्यपि, लेखापरीक्षा के पास यह प्रमाणित करने के लिए अभिलेख में कुछ भी नहीं था कि क्या राज्य में वाहन 4.0 और सारथी 4.0 एप्लीकेशन्स के कार्यान्वयन के लिए कोई समय–सीमा निश्चित की गई थी या इन एप्लीकेशन्स के समय पर कार्यान्वयन करने की निगरानी लिए कोई समिति गठित की गई थी। वाहन 4.0 और सारथी 4.0 एप्लीकेशन्स के कार्यान्वयन में विलम्ब था जिसकी चर्चा नीचे की गई है।

lkjFkh 4-0

स.प.रा.मं के द्वारा इसके प्रारम्भ (जून 2015) से 15 महीने की देरी से नए एप्लीकेशन का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया। स.सं.प.का. बाराबंकी सारथी 4.0 को प्रारम्भ करने वाली प्रथम इकाई थी (अक्टूबर 2016)। यद्यपि, पहली इकाई को अक्टूबर 2016 में सारथी 2.0 से सारथी 4.0 में स्थानांतरित कर दिया गया था, अंतिम इकाई (सं.प.का, बांदा) को मई 2018 में 19 महीने की अवधि के पश्चात् सारथी 4.0 में स्थानांतरित किया गया। राज्य में दो विस्तार पटलों सहित 77 सं.प.का./स.सं.प.का. में सारथी 4.0 एप्लीकेशन के कार्यान्वयन के माह को **pkVZ 2-1** मे दर्शाया गया है:

pkVZ 2-1% lkjFkh 4-0 dk dk;kZUo;u

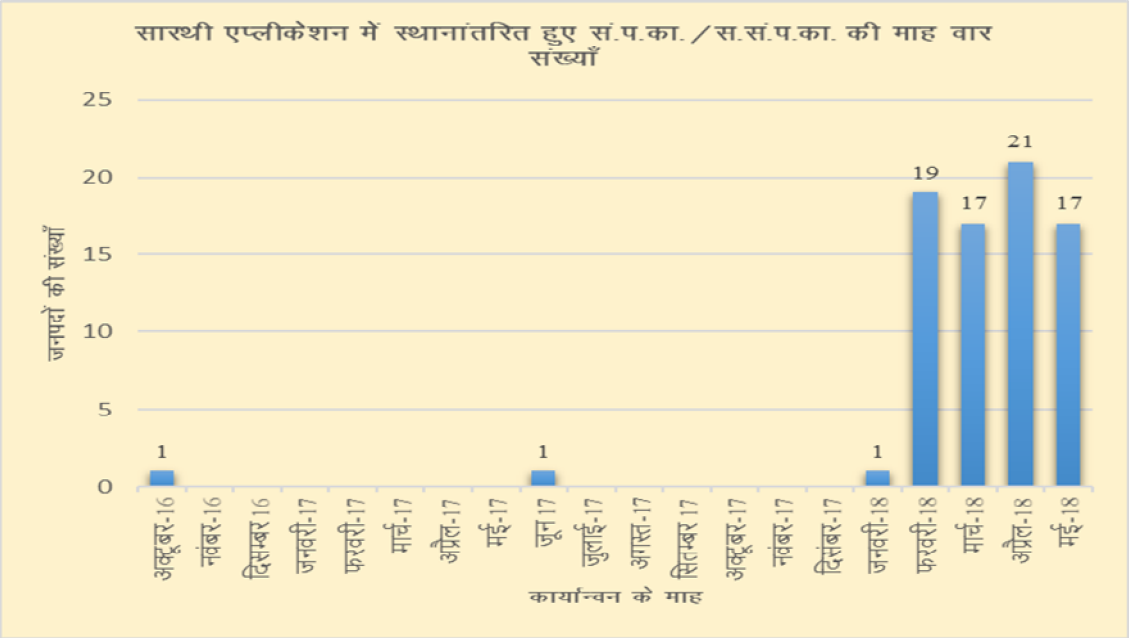

(lzksr% foHkkx }kjk miyC/k djkbZ xbZ lpuk)

okgu 4-0

स.प.रा.मं. के द्वारा इसके प्रारम्भ (जून 2015) से सात महीने की देरी से नए एप्लीकेशन का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया था। स.सं.प.का. बाराबंकी वाहन 4.0 को प्रारम्भ करने वाली प्रथम इकाई थी (जनवरी 2016)। यद्यपि, पहली इकाई को जनवरी 2016 में वाहन 1.0 से वाहन 4.0 में स्थानांतरित कर दिया गया था, अंतिम इकाई (परिवहन आयुक्त कार्यालय) को 37 महीने की अवधि के पश्चात फरवरी 2019 में वाहन 1.0 से वाहन 4.0 में स्थानांतरित किया गया। राज्य में परिवहन आयुक्त कार्यालय और दो विस्तार पटलों सहित 78 स.प.अ./स.स.प.अ. कार्यालयों में वाहन 4.0 के कार्यान्वयन के माह को **pkVZ 2-2** मे दर्शाया गया है।

pkVZ 2-2% okgu 4-0 dk dk;kZUo;u

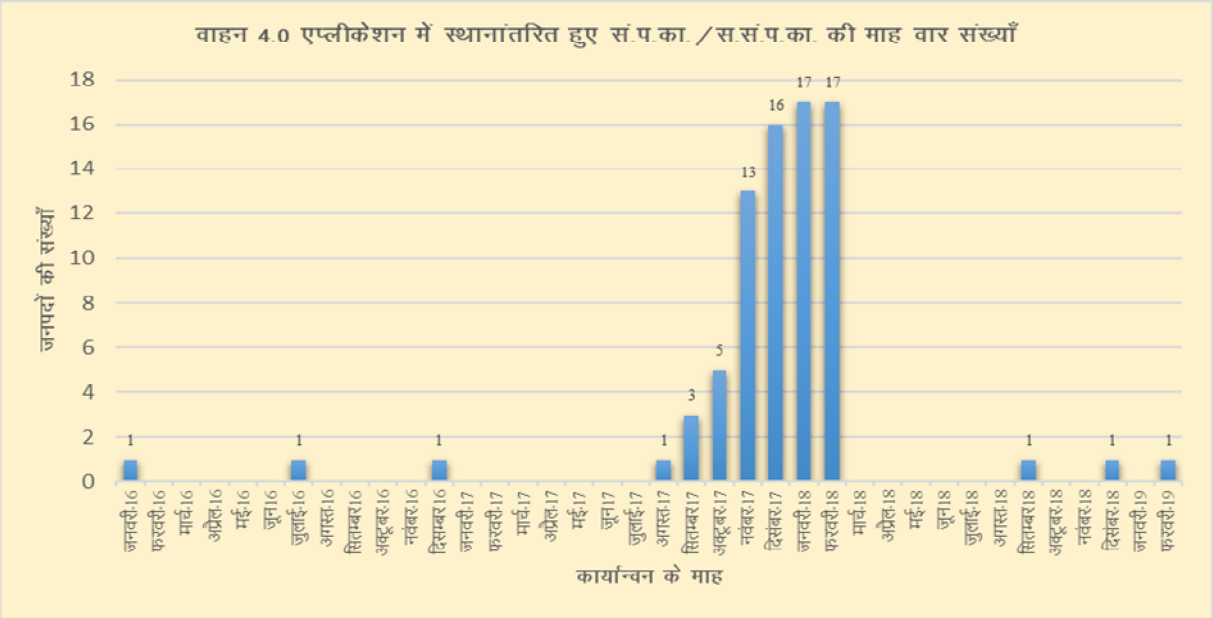

(lzksr% foHkkx }kjk miyCèk djkÃ xÃ lwpuk)

उपरोक्त चार्ट से, यह देखा जा सकता है कि सारथी 4.0 का कार्यान्वयन तुलनात्मक रूप से तेज था, जिसे 19 महीने की अवधि के अन्दर पूर्ण किया गया था, जबकि वाहन 4.0 एप्लीकेशन को लगभग 37 महीने में कार्यान्वित किया गया।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2022) में बताया कि वाहन और सारथी वेब आधारित एप्लीकेशन हैं। वाहन 4.0 को वर्ष 2016 में प्रारम्भ किया गया था परन्तु बुनियादी ढाँचे में अभाव के कारण इसका समय से कार्यान्वयन नहीं हो सका, यद्यपि, विभागीय स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन में कोई विलम्ब नहीं हुआ है; बल्कि, योजना की प्रक्रियात्मक आवश्यकता के अनुसार सभी कार्रवाई की गई है।

तथ्य यह है कि वाहन 4.0 और सारथी 4.0 के कार्यान्वयन के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं थी। सारथी 4.0 के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए लगे 19 महीनों की तुलना में वाहन 4.0 को 37 महीनों में पूर्ण कार्यान्वित किया गया।

2.2.2 lk¶Vos;j@e,Mîy@lsok,@vuqiyCèk@dk;kZfUor ugÈ gksuk

2.2.2.1 dj dh okilh ds fy, e,Mîy

उ.प्र.मो.या.क. अधिनियम, 1997 की धारा 12 मोटर वाहन पर करों की वापसी का प्रावधानित करती है यदि ऐसे वाहन का उपयोग कर के भुगतान के बाद से एक माह या उससे अधिक की निरन्तर अवधि के लिए नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उ.प्र.मो.या.क. नियम, 1998 निम्नानुसार प्रावधानित करता है कि:

¼v½ उ.प्र.मो.या.क. नियम, 1998 के नियम 21 में परिवहन वाहन के अतिरिक्त अन्य मोटर वाहन के कर या अतिरिक्त कर की वापसी का प्रावधान है जिसके संबंध में एकमुश्त कर का भुगतान किया गया हो और वाहन को स्थायी रूप से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया हो। वाहन के मालिक को दूसरे राज्य के पंजीकरण प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

¼c½ उ.प्र.मो.या.क. नियम, 1998 के नियम 22 में कर या अतिरिक्त कर की वापसी का प्रावधान है यदि मोटर यान का मालिक अपने मोटर यान को एक महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए प्रयोग से वापस ले लेता है। परिवहन यान के अतिरिक्त अन्य मोटर यान के मामले में, पंजीकरण का प्रमाण पत्र और परिवहन यान के मामले में, पंजीकरण का प्रमाण पत्र, कर प्रमाण पत्र, अतिरिक्त कर प्रमाण पत्र, स्वस्थता प्रमाण पत्र और परमिट, यदि कोई हो, कराधान अधिकारी को समर्पित किया जाना चाहिए।

यद्यपि, लेखापरीक्षा के लिए यह सत्यापित करने के लिए अभिलेखों में कुछ भी नहीं था कि करों की वापसी के लिए प्रस्तुत आवेदनों की प्रक्रिया के लिए कोई भी मॉड्यूल वाहन 4.0 एप्लीकेशन में शामिल किया गया है या नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि वापसियों को मैन्युअल रूप से संसाधित किया जा रहा था। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, अवधि 2019 से 2021 के दौरान मैन्युअल रूप से वापसी के लिए ₹ 17.98 लाख की राशि संसाधित की गई।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2022) में कहा कि एनआईसी, भारतीय स्टेट बैंक एवं वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बैठक कर आगे की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा।

विभाग का उत्तर टिप्पणी में वर्णित तथ्य की पुष्टि करता है। वाहन 4.0 और सारथी 4.0 के अन्य मॉड्यूल्स को कार्यान्वित किया गया हैं।

2.2.2.2 v,uykbu Hkqxrku ds fy, feyku l,¶Vos;j

विभाग ने (नवंबर 2013) में भारतीय स्टेट बैंक (भा.स्टे.बैं.) के साथ कर/अतिरिक्त कर/शुल्क के ई–भुगतान एवं भा.स्टे.बैं. द्वारा उसके संग्रह के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए एक समझौता किया। अनुबन्ध का खण्ड–5 प्रावधानित करता हैं कि भा.स्टे.बैं. विभाग की तरफ से संग्रह की गयी धनराशि को सरकारी खाते में प्रेषित करेगा। भा.स्टे.बैं. द्वारा इसे सरकारी खाते में लेनदेन दिवस से अतिरिक्त एक (ले.+1)[2] कार्य दिवस में स्थानांतरित करना था। उपरोक्त का पालन न करने पर अर्थदण्ड का प्रावधान है।

---

[2] ले.+1 कार्य दिवस जैसा कि आर.बी.आई. द्वारा परिभाषित किया गया है, जहाँ ले. वह दिन है जिस दिन करदाता/शुल्क दाता द्वारा बैंक को पैसा उपलब्ध कराया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग को अवधि 2016–17 से 2020–21 के दौरान ऑन–लाइन मोड के माध्यम से राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 20,122.61 करोड़ (कुल राजस्व का 64 प्रतिशत) की धनराशि प्राप्त हुई है। यद्यपि, विभाग ने भा.स्टे.बैं. द्वारा प्राप्त धनराशि एवं सरकारी खाते में जमा धनराशि के मिलान के लिए कोई सॉफ्टवेयर विकसित नहीं किया था। इस प्रकार, उस सीमा तक स्वचालन अधूरा है। इसके अतिरिक्त, ऑन–लाइन राजस्व प्राप्तियों का मिलान मैन्युअल रूप से भी नहीं किया गया था।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2022) में बताया कि मिलान सॉफ्टवेयर एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है और परीक्षण के चरण में है। इसका कार्यान्वयन शीघ्र ही एनआईसी और भारतीय स्टेट बैंक के समन्वय से सुनिश्चित किया जाएगा।

तथ्य यह है कि ऑन–लाइन प्रणाली के माध्यम से अत्याधिक मात्रा में राजस्व प्राप्त होने के बावजूद, इसके मिलान के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया है।

fu"d"k

विभाग द्वारा सारथी 4.0 और वाहन 4.0 एप्लीकेशन्स के कार्यान्वयन का प्रारम्भ क्रमशः 15 और 7 महीने की विलम्ब के साथ, क्रमशः 19 और 37 महीने की समय सीमा में पूर्ण किया गया। कार्यान्वयन में विलम्ब के बावजूद, एप्लीकेशन्स में मिलान और वापसी के लिए कुछ मॉड्यूल्स का अभाव था।